

प्रस्ताव का नाम :- Diversion Of The Forest Land Pahadpur Block A & B for mining purpose

यूजर एजेन्सी का :- DMG RAJASTHAN

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :-248.5515 है०

प्रभावित जिला एवं वनमंडल:- Bharatpur & Bharatpur Territorial
प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि:- FP/RJ/MIN/149012/2021 03 Nov 2021

The following observations found in the proposal which need to be replied and/or rectified:-

1. प्रस्ताव में पार्ट-1 में पैरा- 1 में वन्यजीव स्वीकृति की जानकारी में, प्रस्ताव वन्यजीव अभयारण्य/नेशनल पार्क/ ESZ में नहीं होना अवगत कराया गया था, परन्तु उप वन संरक्षक की Site Inspection Report एवं Recommendation में 15.30 है० वन क्षेत्र बंध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य का भाग होना अवगत कराया गया है। ESZ वन क्षेत्र में खनन गतिविधियां संभव नहीं है। अतः इस क्षेत्र को कम कर प्रस्ताव संशोधित किया जाना अपेक्षित है, इस बाबत मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की टिप्पणी भी ली जानी उचित रहेगी।
2. उप वन संरक्षक द्वारा पेड़ों की गणना 12023 पोधों की दी गई है, इनमें से कितने पेड़ों को काटा जाना है तथा कितने पेड़ों को Retain किया जाना है, की अलग-अलग सूची दी जानी अपेक्षित है, दस्तावेज पर उप वन संरक्षक की सील एवं हस्ताक्षर नहीं है।
3. 248.5515 है० NFL के विरुद्ध उप वन संरक्षक द्वारा KML 646.96 है० की दी गई है, इसमें से 248.5515 है० की KML दी जानी है।
4. CA NFL की KML अस्पष्ट है।
5. उप वन संरक्षक द्वारा CA Scheme 13(iv) में NA लिखा है, जो गलत है।
6. NFL नोटिफिकेशन को जो दस्तावेज अपलोड किया गया है, उस पर सील व हस्ताक्षर नहीं है।
7. NFL भूमि की Google Image देखे जाने पर स्पष्ट होता है कि उस पर 1000 पोधे प्रति हैक्टर लगाया जाना उचित नहीं है। अतः NFL में रोपित किये जा सकने वाले संभावित पोधों के उपरांत बचने वाले पोधे DFL क्षेत्र में प्रस्तावित किये जाने अपेक्षित है।
8. नोटिफिकेशन नाम से अपलोड किया गया दस्तावेज नहीं खुल रहा है।
9. बंध बारेठा अभयारण्य के नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न। अपलोड नहीं है।
10. Safty Zone की गणना नहीं दी गई है।

24/2/22
C. K. Gupta
ACF, FCA